[2020] 6 एस0 सी0 आर0 983

घनश्याम उपाध्याय

बनाम

उत्तर प्रदेश एवं अन्य।

(आपराधिक प्रकीर्ण याचिका संख्या 70798\2020 में रिट याचिका) (आपराधिक संख्या 177 ऑफ 2020) 19, अगस्त 2020

[मुख्य न्यायाधीश एस0 ए0 बोबड़े व न्यायमूर्ति ए0 एस0 बोपन्ना व

वी0 रामा सुब्रामनियम,]

जांचः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की जांच करने के लिए गठित जांच आयोग। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त गठित आयोग के रद्द करने की मांग करते हुए आयोग के दो सदस्यों के खिलाफ हितों के टकराव और पूर्वग्रह का आरोप लगाया है। अभिनिर्धारितः आरोप का आधार समाचार पत्र में प्रकाशित लेख था। बिना किसी अन्य साक्ष्य के मात्र समाचार पत्र के लेख का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है। प्रस्तुत मामला तथ्यान्वेषण का विषय है। आयोग का गठन जांच आयोग अधिनियम के तहत किया गया है। जो मात्र जांच किए जाने हेतु अपना निष्कर्ष इंगित किए जाने व सिफारिशे करने हेतु अधिकृत है। परन्तु आयोग की सिफारिशे स्वयंमेव अथवा स्वतंत्र रूप से प्रर्वतनीय नहीं है। जांच पूर्ण रूप से प्रक्रिया के अनुरूप सम्पादित हो यह सुनिश्चित किया जायेगा।

आवेदन खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि मामले में प्रकीर्ण याचिका में वर्णित आरोप का पूर्ण आधार समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा विश्वास व्यक्त किया गया है। समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त कथन की सत्यता या अन्यथा पुष्टि करने के लिए प्रस्तुत अभिलेखों में अन्य कोई तथ्य नहीं है। केवल कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख पर आधारित तर्को को स्वीकार करते समय इस न्यायालय को बहुत सर्तक रहना होगा। बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के समाचार पत्र में प्रकाशित लेख का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है। (पैरा-6) (987-एफ-जी)

कुसुम लता बनाम भारत संघ व अन्य (2006) 6 एस0 सी0 सी0 180: (2006) 3 एस0 यू0 पी0 पी0 एल0 एस0 सी0 आर0 462; रोहित पाण्डेय बनाम भारत संघ (2005) 13 एस0 सी0 सी0 702-983 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस (2020)6 एस0 सी0 आर0 पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

1.2 मौजूदा मामले में, आयोग के अध्यक्ष और एक सदस्य उच्च संवैधानिक पदों पर थे तथा आरोप लगाते समय याचिकाकर्ता ने अपना दावा केवल समाचार पत्र के लेख पर आधारित किया है तथा जिस प्रकार उसके द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और वैसे भी यह आरोप कि आयोग के अध्यक्ष के भाई सत्ता पार्टी से संबधित या समर्थन करने वाले विधायक है और आयोग के सदस्य पुलिस महानिरीक्षक से संबधित है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मामले में उक्त तथ्य पूर्वाग्रह या हितों के टकराव को जन्म देगा। चूंकि मामले में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि किस प्रकार उपरोक्त संबंधी उन्हे प्रभावित कर सकता है तथा क्या वह वास्तव में उन्हें प्रभावित कर पाने की स्थिति में है।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता पेशे से एक वकील है, जो मुबंई में वकालत करता है तथा जनहित याचिका के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अतः उनके द्वारा आयोग के सदस्यों के खिलाफ मात्र समाचार पत्र में प्रकाशित लेख के आधार पर लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोप सिरे से खारिज किए जाने योग्य है। (पैरा 14) (989-एच, 990-ए)

रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ व अन्य (1987) 4 एस सी सी
611, (1988) 1 एस सी आर 512- से भिन्न होना व्यक्त किया गया।

के0 विजया भास्कर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार , ए0 आई0 आर0 ए पी 62- उपरिनिर्दिष्ट

न्यायालय यहां जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अंतर्गत गठित एक जांच आयोग पर मत व्यक्त कर रही है, जिसके कार्य और भूमिका अब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जा चुके है। जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत गठित आयोग को केवल जांच करने, अपने निष्कर्षों को दर्ज करने और सिफारिश करने का अधिकार है, परन्तु सिफारिशे स्वतः प्रर्वतनीय नहीं है। वर्तमान मामले में पक्षों के बीच विधिक बिन्दुओं के परस्पर निर्धारण संबंधी कार्यवाही अमल में नही लाई जानी है। अपितु यह तथ्यान्वेषण से संबधित है। प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता एक वकील है, जो मुबंई, महाराष्ट्र में वकालत करता है और उसका उत्तर प्रदेश में हुई घटना से कोई संबध नही है। हालांकि उनके द्वारा जनहित में दायर याचिका स्वीकार कर ली गई थी और जांच आयोग में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करते हुए जिन्होंने पूर्व में उच्च पद संभाला था, गठन किया गया। आयोग द्वारा की गई जांच सार्वजनिक किए जाने तथा याचिकाकर्ता को पूर्व में ही इसमें भाग लेने का अधिकार दिया गया है। जांच आख्या उन याचिकाओं में दाखिल करने का आदेश दिया गया है, जो इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। अतः जांच

पूर्ण रूप से सुरक्षित तरीके से की जाएगी। याचिका कर्ता द्वारा अनावश्यक रूप से आशंकाए जताते हुए, आवेदन दायर किए जा रहे है, जिससे वास्तव में जांच प्रक्रिया बाधित हो रही है। (पैरा 10 और 15) (988-एफ-जी, 990-सी-इ)

राम कृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस0 आर0 तेडोलकर (1959)
एस सी आर 279, कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977)
4 एस सी सी 608 (1978) 2 एस सी आर 1, शाम कांत बनाम महाराष्ट्र (1992) 2 , एस यू पी पी एल, एस सी सी 521- पर विश्वास व्यक्त किया गया।
विधि व्यवस्था उद्धण (2006) 3 एस यू पी पी एल 0 462 पैरा 6 (2005) पर विश्वास व्यक्त किया गया। 13 एस सी सी 702 पैरा 7 पर विश्वास व्यक्त किया गया। 13 एस सी सी 702 पैरा 7 पर विश्वास व्यक्त किया गया। 1959 एस सी सी आर 279 पैरा 10 पर विश्वास व्यक्त किया गया। 1978 2 एस सी आर 1 पैरा 10 (1992)2 एस यू पी पी एल0 पर विश्वास व्यक्त किया गया। एस सी सी 521 पैरा 10 ए आई आर 1996 ए पी 62 पर विश्वास व्यक्त किया गया जो पैरा 11 (1998) 1 एस सी आर 512 में उद्धरित है। पैरा 15 से भिन्न होना व्यक्त किया गया।
मूल आपराधिक अधिकारिताः सी0 आर0 एल0 एम0 पी0 संख्या-
70798/2020 रिट याचिका आपराधिक संख्या- 177/2020
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तुषार मेहता, एस जी, के0 एम0 नटराज, ए एस जी, सुश्री गरिमा प्रसाद, प्रशांत सिंह, शिव नाथ तिलहारी, रजत नायर, कनु अग्रवाल, अरविन्द कुमार शर्मा, सुश्री अर्पण भट्ट, सुश्री अनुपमा नगगोम उपस्थित पक्षकार की ओर से अधिवक्तागण

याचिकाकर्ता, व्यक्तिगत रूप से-

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारितः

आदेश

1. इस आपराधिक प्रकीर्ण याचिका/प्रार्थना पत्र में याचिकाकर्ता डब्लू पी (सी आर एल) क्रमांक 177/2020 में याचिकाकर्ता है। उक्त रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, जनहित में परमादेश की रिट जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को निर्देशित किए जाने कि अभियुक्त के आवासीय भवन व अन्य संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के बाबत कार्यवाही आरंभ करे तथा अभियुक्त विकास दूबे के जीवन

की रक्षा सुनिश्चित की जाए, याचिका पर विचार करने से पहले कुछ अन्य घटनाक्रम भी घटित हुए यहां तक कि उक्त विकास दूबे को पुलिस के द्वारा कथित मुठभेड़ में मार दिया गया। उक्त रिट याचिका के साथ कुछ अन्य रिट याचिकाएं भी उल्लखित की गई है। वह भी जनहित में दायर की गई थी तथा, जिनमें समूचित जांच के बाबत दिशा-निर्देश की मांग की गई थी। सभी संबधित रिट याचिकाओं पर एक साथ विचार किया गया। राज्य सरकार ने उक्त रिट याचिकाओं पर अपने द्वारा दायर जवाब में मामले के अन्य पहलुओं का जिक्र करने के अलावा यह भी संकेत दिया था कि सरकार ने सभी घटनाओं को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए एक विशेष जांच दल का गठन करने के अलावा जांच आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का भी गठन किया है। इस संबध में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पूर्व न्यायमूर्ति श्री शशिकांत अग्रवाल को नियुक्त किया गया था।

इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, इस न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर राज्य सरकार ने आयोग की संरचना का विस्तार करने की कार्यवाही की थी। तद्नुसार राज्य सरकार ने नियुक्त किए गए पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश का नाम बतौर अध्यक्ष व श्री के0 एल0 गुप्ता आई0 पी0 एस0 पूर्व महानिदेशक का नाम बतौर सदस्य प्रस्तावित किया। इस न्यायालय ने उक्त प्रस्ताव को उचित मानते हुए आदेश दिनांकित 22.07.2020 के माध्यम से जाँच आयोग के उक्त तरीके से गठन को स्वीकार किया था और रिट याचिका को आयोग की रिपोर्ट के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं को जाँच आयोग में आवेदन कर मामले की सुनवाई का अवसर दिये जाने का अधिकार भी प्रदान किया गया था। ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपराधिक प्रकीर्ण याचिका दायर कर राज्य द्वारा गठित न्यायिक आयोग को खत्म करने व एक एस0 आई0 टी0 बनाये जाने की, जैसा कि इस न्यायालय से याचिकाकर्ता द्वारा घनश्याम उपाध्याय बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में याचित किया गया था, जो याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर जाँच करे। उक्त प्रार्थना याचिकाकर्ता द्वारा अध्यक्ष डा0 न्यायमूर्ति बी0 एस0 चौहान व सदस्य श्री के0 एन0 गुप्ता पर हितों के टकराव व संभावित पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुये की गई है। इस संदर्भ में याचिकाकर्ता ने 'द वायर' में दिनांक 29.07.2020 को प्रकाशित एक लेख पर विश्वास व्यक्त किया गया है।

हमने याचिका कर्ता को व्यक्तिगत रूप में सुना तथा याचिका का परिशीलन किया।

सर्वप्रथम इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि याचिका कर्ता द्वारा एल ० ए० आवेदन क्रमांक संख्या-68207/2020 व आई० ए० क्रमांक 67940/2020 जांच आयोग के गठन के बाद श्री के० एल० गुप्ता के बतौर आयोग के सदस्य होने पर कुछ आपत्तियां उठाते हुए दायर किया गया, चूंकि याचिकाकर्ता के अनुसार उन्होंने मीडिया को दिए साक्षात्कार में पुलिस के पक्ष में कुछ टिप्पणियां की थी। इस न्यायालय द्वारा इन पर विचार किया गया तथा इसे अपत्तिजनक नहीं पाए जाने पर उपरोक्त आवेदन में बल न पाते हुए आदेश दिनांकित 28.07.2020 के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया। पुनः उन्ही तर्कों को वर्तमान प्रार्थना पत्र में एक अतिरिक्त तर्क के साथ है कि उक्त श्री के० एल० गुप्ता का संबध कानपुर जोन के आई० जी० श्री मोहित अग्रवाल से है, प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति डा० वी० एस० चौहान के आयोग के अध्यक्ष के पद पर बने रहने पर आपत्ति जताई है, क्योंकि याचिका कर्ता द्वारा जिस समाचार लेख पर विश्वास व्यक्त किया है , उसमें कहा गया है कि उनके भाई व संबंधी भारतीय जनता पार्टी से विधायक है , जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का संचालन किया जाता है।

जैसा कि उल्लेखित किया गया है कि प्रकीर्ण याचिका में निहित आरोप का पूर्ण आधार समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख है जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा अपना विश्वास व्यक्त किया गया है। समाचार पत्र में किए गए कथन की सच्चाई या अन्यथा पुष्टि करने हेतु अभिलेखों में अन्य कोई तथ्य नहीं है। हमारे विचार में इस न्यायालय को केवल कुछ समाचार पत्रों के प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत तर्क को स्वीकार किए जाते समय अत्यन्त सतर्क रहना होगा इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह बार -बार अभिनिर्धारित किया गया है कि बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के , समाचार पत्र के प्रकाशित लेख का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है। उक्त सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने के उपरान्त कई जनहित याचिकाओं में जिनमें समाचार पत्र में प्रकाशित लेख को , आरोप का आधार बनाया गया है, उक्त आरोपों को निरस्त किए जाने हेतु इसी सिद्धांत का आधार लिया गया है। यहां कुसुमलता बनाम भारत संघ व अन्य (2006) 6 एस सी सी 180 में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाना आवश्यक होगा, जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि" यह भी पाया गया है कि याचिकाएं , समाचार पत्र के लेख पर आधारित है , जिनकी प्रमाणिकता को सत्यापित किए जाने का प्रयास नहीं किया गया है। जैसा कि इस न्यायालय ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि समाचार पत्र के लेख साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते है। ऐसी अपुष्ट समाचार पत्र के लेख पर बिना उनके प्रामाणिकता की पुष्टि के आमतौर पर , विचार नहीं

किया जाना चाहिए। जैसा कि पूर्व में उल्लखित किया गया है, ऐसी याचिकाएं याचिका में दिए गए बयानों और जानकारी की सत्यता को सत्यापित करने का कोई आधार प्रदन नहीं करती है।"

इस न्यायालय द्वारा रोहित पांडे बनाम भारत संघ (2005) 13 एस सी सी 702 के मामले में विधिक क्षेत्र के एक सदस्य द्वारा दायर कथित जनहित याचिका पर विचार करते हुए, बिना किसी सत्यापन के केवल दो समाचार पत्रों के लेख पर आधारित होने के कारण याचिका कर्ता के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाया गया था।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मौजूदा मामले में यह ध्यान देने योग्य है कि आयोग के अध्यक्ष और एक सदस्य संवैधानिक पदों पर रहे है। याचिका कर्ता द्वारा लगाए गए आरोप , मात्र समाचार पत्र के लेख पर आधारित है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किए गए तर्क स्वीकार किए गये योग्य नहीं है।

वैसे भी यह आरोप कि आयोग के चेयरमेन के भाई सत्ता पार्टी से संबधित या समर्थन करने वाले विधायक है और आयोग का सदस्य पुलिस महानिरीक्षक (कानपुर रेंज) से संबधित है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि इससे पूर्वाग्रह या हितों के टकराव की संभावना है, क्यूंकि ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है , जो इस ओर इंगित करे कि उक्त संबंधी किस प्रकार से अध्यक्ष व सदस्य को प्रभावित कर सकते है तथा क्या वह वास्तव में प्रभावित कर पाने की स्थिति में है।

यह स्मरण किया जाना आवश्यक है हम यहां जांच आयोग अधिनियम के तहत गठित एक जांच आयोग के संबध में मत व्यक्त कर रहे है। जिसके कार्य और भूमिका अब तक पूर्ण रूप से परिभाषित है। जैसा कि राम कृष्ण डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस ० आर० तेडोलकर, 1959 एस सी आर 279 के मामले में संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत गठित एक आयोग को केवल जांच करने , अपने निष्कर्षों को दर्ज करने और अपनी सिफारिशे करने का अधिकार है , परन्तु उक्त सिफारिशे स्वतः लागू करने की शक्ति प्रदान नहीं है। राम कृष्ण डालमिया के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ (1977) 4 एस सी सी 608 में वृहद पीठ द्वारा पुष्ट किया गया था। वास्तव में इस न्यायालय द्वारा शामकान्त बनाम महाराष्ट्र राज्य , 1992 एस यू पी एल ० (2) एस सी सी 521, में पुलिस अधिकारी की दोष सिद्ध और सजा से उत्पन्न अपील के निस्तारण के दौरान यह निष्कर्ष दिया गया कि जांच आयोग का निष्कर्ष न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। पुलिस अधिकारी के उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष

अपीलकर्ता ने जांच आयोग के इस निष्कर्ष पर विश्वास किए जाने की मांग की थी कि हिरासत में यातना के शिकार पीड़ित व्यक्ति को गिरफ्तारी पूर्व भी चोटें आ सकती थी।
घनश्याम उपध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य
इस न्यायालय द्वारा जांच आयोग के निष्कर्ष के आधार पर पुलिस अधिकारी की दोष सिद्धि संबधी आदेश को अपास्त करने से इंकार कर दिया गया।
11. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष विजया भास्कर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश ए आइ आर 1996 ए पी 62 के मामले में जांच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति संबंधी चुनौती के समाधान का मामला उत्पन्न हुआ। चुनौती का एक आधार नियुक्त व्यक्ति की ओर से पक्षपात था। यह इंगित करते हुए कि हितों के आधार पर पक्षपात के अन्तर्गत न्यायाधीश की निरर्हता दो व्यापक वर्गो में आ सकती है। 1. आर्थिक हित से उत्पन्न। 2. बतौर न्यायाधीश किसी एक पक्षकार से संबध के कारण परिणाम में व्यक्तिगत हित होने से उत्पन्न पूर्वाग्रह इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय की खण्डपीठ ने प्रशासकीय कानून पर मैसी के ग्रंथ को निम्नलिखित रूप से उद्धत किया है '' निर्णय ले रहे प्राधिकारी व पक्षकारों के बीच संबध के समीकरण के आधार पर उत्पन्न पूर्वाग्रह जिसके कारण कि प्रतिकूल या अन्यथा किसी रूप से एक पक्षकार के पक्ष में झुकाव हो।

यद्यपि के विजया भास्कर रेड्डी के मामले में यह तर्क उठाया गया था कि यह सिद्धांत किसी जांच आयोग के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है , जो मूल रूप से जांच परक होती है न कि न्यायिक या अर्धन्यायिक या प्रतिकूल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड़पीठ ने यह माना है कि पारदर्शी व निष्पक्ष रूप से कार्य करने का कर्तव्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से ही प्रवाहित होता है। अतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्वाग्रह संबधी तर्क उत्पन्न करने संबधी याचिकाकर्ता के अधिकार को कायम रखा। हालांकि न्यायालय ने माना कि पूर्वाग्रह संबधी तर्क को प्रमाणित करने अथवा सिद्ध करने हेतु (1) ठोस, निर्विवाद, अखंडनीय तथ्य आवश्यक है तथा न्यायालय द्वारा (2) अस्पष्ट, अस्थिर व सनकी आशंका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन सिंद्धांतों के अनुपालन में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश की एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्ति को इस कारण दी गई चुनौती , उनके द्वारा उस पद पर रहते हुए कुछ कथित अनियमिताओ की जांच को खारिज कर दिया।

इस प्रकार ऐसे मामले में भी जहां अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता वह व्यक्ति था , जिसके विरूद्ध जांच आयोग का गठन किया गया था। न्यायालय के द्वारा जांच आयोग के विरूद्ध व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के आरोप के परीक्षण हेतु सख्त मानक लागू किए।

14. प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता पेशे से एक वकील है, जो मुबई में वकालत करता है और न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका के माध्यम से उपस्थित आया है। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टस (2020) 6 एस सी आर लिटिगेशन। अतः उसके द्वारा आयोग के सदस्यों के खिलाफ केवल समाचार के लेख के आधार पर बिना अन्य किसी तथ्य के लगाए गए पूर्वाग्रह के आरोप सिरे से खारिज किए जाने योग्य है।

15. याचिका कर्ता द्वारा इस न्यायालय में रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ व अन्य (1987) 4 एस सी सी 611 के मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास व्यक्त करते हुए यह तर्क दिया है कि न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकार के मन में पूर्वाग्रह की संभावना भी शिकायत करने हेतु पर्याप्त है। उक्त मामले के तथ्यों के कारण यह निष्कर्ष दिया गया था, जहां प्रत्यर्थी संख्या-4 की सहभागिता अपील कर्ता को उसी मामले में दण्डित करने, तद्परान्त कार्यवाही के भाग लेने से पूर्वग्रह उत्पन्न हुआ उक्त तथ्य स्वीकार किया जाने योग्य है। प्रस्तुत मामले में तथ्य पूर्णतयाः भिन्न है। प्रस्तुत प्रकरण में के कार्यवाही , पक्षकारों के मध्य उत्पन्न, विधिक, बिन्दुओं के निर्धारण की नहीं अपितु तथ्यान्वेषण संबधी है। प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता एक वकील है जो मुबई, महाराष्ट्र में वकालत करता है। उसका यू0 पी0 में हुई घटना से कोई संबध नहीं है। हालांकि उसकी ओर से जनहित में दायर याचिका स्वीकार की गई तथा उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों को सम्मलित करने हुए जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा की गई जांच सार्वजनिक रहेगी तथा याचिकाकर्ता को इसमें भाग लेने की अनुमति पूर्व में ही दी जा चुकी है।

जांच रिपोर्ट उन याचिकाओं में दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया है , जो इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। अतः जांच प्रक्रिया के लिए पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। हमारे विचार में याचिका कर्ता द्वारा अनावश्यक आशंकाए जताते हुए बार-बार आवेदन प्रस्तुत कर, जांच प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जा रही है।

16. उपरोक्त सभी कारणों के दृष्टिगत प्रस्तुत याचिका/आवेदन बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

कल्पना के0 त्रिपाठी याचिका/आवेदन निरस्त।

सपना त्रिपाठी-II
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सुलतानपुर